न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./257/2025/बाड़मेर

अपीलांटस

1. नाथूसिंह पुत्र कलाराम, उम्र 62 वर्ष
2. भंवराराम पुत्र कलाराम, उम्र 55 वर्ष
3. तुलसाराम पुत्र कलाराम, उम्र 60 वर्ष
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र कलाराम, उम्र 50 वर्ष
5. खेताराम पुत्र नेनाराम फौत के का. मु.–

5/1. अशोक कुमार पुत्र खेताराम, उम्र 35 वर्ष

5/1. चुन्नी देवी पत्नी खेताराम, उम्र 60 वर्ष

6. चुतराराम पुत्र नेनाराम, उम्र 55 वर्ष
7. गुमनाराम पुत्र नेनाराम, उम्र 50 वर्ष
8. बाबूलाल पुत्र नेनाराम, उम्र 48 वर्ष
9. ललित कुमार पुत्र नेनाराम, उम्र 45 वर्ष
10. भूराराम पुत्र नेनाराम, उम्र 40 वर्ष
11. देवाराम पुत्र नेनाराम, उम्र 38 वर्ष
12. पारू देवी पत्नी नेनाराम, उम्र 75 वर्ष
13. वगतावर सिंह पुत्र जगरामराम, उम्र 63 वर्ष
14. जालाराम पुत्र जगरामराम, उम्र 60 वर्ष
15. हुकमाराम पुत्र जगरामराम, उम्र 55 वर्ष
16. तेजाराम पुत्र जगरामराम, उम्र 45 वर्ष
17. मंगनी देवी पत्नी जगरामराम, उम्र 75 वर्ष, जाति जाट, निवासी हदोणियों की ढाणी, हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1. सताराम पुत्र मगाराम, उम्र 70 वर्ष
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र सताराम, उम्र 45 वर्ष
3. वासूदेव पुत्र सताराम, उम्र 42 वर्ष, जाति जाट, निवासी हदोणियों की ढाणी, हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर।
4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गिड़ा, जिला बाड़मेर।
5. तहसीलदार, गिड़ा, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2019 बउनवान सताराम बनाम नाथूसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री सुनील बी.एल. रामावत अपीलान्ट की ओर से।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पों. संख्या 04 की ओर से।
4. शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:—04.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हदोणियों की ढाणी, पटवार हल्का हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 223 रकबा 58.07 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 08.15 बीघा, खसरा संख्या 298 रकबा 108.06 बीघा, खसरा संख्या 355/294 रकबा 01.09 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 157.02 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 152.18 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने—अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा—काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा—काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 18.08.2025 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हदोणियों की ढाणी, पटवार हल्का हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 223 रकबा 58.07 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 08.15 बीघा, खसरा संख्या 298 रकबा 108.06 बीघा, खसरा संख्या 355/294 रकबा 01.09 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 157.02 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 152.18 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा मौके

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दर्ज कर वाद तामील अपीलांट द्वारा वकील नियुक्त किया गया था। वादी/रेस्पों. के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 06 की फौतगी सूचना बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का मय संशोधित शीर्षक के प्रस्तुत किया था, जिस पर अपीलांट को सुने बिना ही व अपीलांट को जबाव का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 का प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलांट द्वारा काउन्टर क्लेम मय धारा 88 का प्रस्तुत किया। जिस पर तनकी बना दी गयी, लेकिन साक्ष्य व प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का 2/3 हिस्से व रेस्पों. के 1/3 हिस्से पर अपने अपने कब्जे काश्त अनुसार रहवासी ढाणी व तारीबंदी की हुई है। सेटलमेंट से पूर्व हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पूर्वज सायबराम के नाम दर्ज थी। सायबराम ने ही रेस्पों. संख्या 01 से 03 के पूर्वज अनाथ मगाराम को पाल पोस कर बड़ा किया, परन्तु सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारियों की भूल से आराजी का राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन हो गया, जिसका इतने समय तक अपीलांट को ध्यान नहीं रहा इन्हीं तथ्यों पर पेशी दिनांक 12.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 से 18 ने अपना जबाव दावा मय काउंटर क्लमे 2/3 हिस्सा घोषित करवाने का प्रस्तुत किया था। उक्त जवाबदावा व काउंटर क्लेम का जवाब उल जबाव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का जबाव उल जबाव सहित वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसका निस्तारण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम रिकार्ड पर ले लिया गया है जो विधि अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवदी द्वारा जवाब व साक्ष्य हेतु अवसर चाहा गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अवसर बंद कर दिया गया। साक्ष्य व जबाव बंद करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये, बिना साक्ष्य पेश किये व अपीलांट की गलत तरीके से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना विधिक पक्रिया अपनाये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03/वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा हदोणियों की ढाणी, पटवार हल्का हीरा की ढाणी, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 223 रकबा 58.07 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 08.15 बीघा, खसरा संख्या 298 रकबा 108.06 बीघा, खसरा संख्या 355/294 रकबा 01.09 बीघा, खसरा संख्या 294 रकबा 157.02 बीघा व खसरा संख्या 235 रकबा 152.18 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाव उल जबाव में वादी/रेस्पों. के कथनों को स्वीकार करते हुए सहमति प्रदान की गई थी। सहमति प्रदान कर उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो औचित्य हीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का पक्षकार जगमाल द्वारा जरिये दान पत्र दिनांक 08.02.2011 को अपने 1/2 हिस्से में से 1/3 का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हकतर्क कर दिया था। जिससे अपीलांट के उक्त हिस्से को लेकर किया गया उज्र का कोई सार ही नहीं है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोंडेन्टस (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया और ना ही वकील उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1- RRT 2011(2) 851
2- RRT 2010(2)801
3- RRT 2007(2)788
4- CIVIL Ap. No. 11794/2025 Date 12-09-2025
5- RRT 2004(2) 1066
6- RRT 2005(2) 955

पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान गहनता से अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं किया गया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नही हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2019 बउनवान सताराम बनाम नाथूसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

4/11/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर